पंजीकृत / सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक / प्रमुख अधीक्षक बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ / डा0 एस0पी0एम0 (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ / डा0 आर0एम0एल0 चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ / ओपेक चिकित्सालय कैली बस्ती / यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, फैजाबाद, इलाहाबाद।
5. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, लोक बन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ, टी0बी0 चिकित्सालय, लखनऊ / तेलियरगंज, इलाहाबाद, मानसिक चिकित्सालय, बरेली / वाराणसी, एस0आर0एन0 चिकित्सालय, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद।
7. अपर निदेशक, मलेरिया, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अपर निदेशक, राज्य विधि विशेषज्ञ ऐशबाग, लखनऊ।
9. सयुंक्त निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, लखनऊ।
10. राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, सेक्टर–सी अलीगंज, लखनऊ / वाराणसी।
11. प्रधानाचार्य गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ।
12. संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्याः–4डी(1) / 2016 / 808 लखनऊ : दिनांक : 06/4 2016

विषयः– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 90 कनिष्ठ सहायकों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में समायोजित किये जाने हेतु विकल्प प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश सख्या–919 / पांच–8–09–129 विविध / 2001, चिकित्सा अनुभाग–8 दिनांक 17.04.2009 के अनुपालन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 90 कनिष्ठ सहायकों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.09.2015 को हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 के परिधिगत कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ सहायक से विकल्प प्राप्त कर, प्राप्त विकल्प के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में समायोजन किया जायेगा।
2. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को अनुभवी कनिष्ठ सहायक प्राप्त होने के दृष्टिगत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 (परिधिगत कार्यालय) के ऐसे कनिष्ठ सहायक–
   - **क.** जो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में (शासनादेश संख्या–919 / पांच–8–09–129 विविध / 2001, चिकित्सा अनुभाग–8 दिनांक 17.04.2009) जारी होने की तिथि दिनांक 17.04.2009 से 31.03.2015 तक की अवधि में दो वर्ष कार्य किये हो या
   - **ख.** समायोजन के वित्तीय वर्ष के प्रथम तिथि दिनांक 01.04.2015 को कार्यरत रहे हो, को समायोजित किया जायेगा।
3. समायोजन में अनु0जाति / जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण प्राविधानों के अनुसार समायोजित होने वाले 90 कनिष्ठ सहायकों में आरक्षण का प्रतिनिधित्व रखा जायें। आरक्षित वर्ग के कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में आरक्षित वर्ग के लिये प्रस्तर–2 के प्राविधान को शिथिल कर दिया जायेगा।

4. ऐसे कनिष्ठ सहायक जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागयी अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित हो, के समायोजन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतएव उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन तैनात ऐसे कनिष्ठ सहायकों, जो उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड को पूरा करते हो, से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मे समायोजन हेतु विकल्प प्राप्त करते हुए एक सप्ताह में विकल्प पत्र अवश्मेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकें। प्रकरण अति संवेदनशील है। अतएव कार्यवाही कोई शिथिलता/विलम्ब न किया जाये।

6/4/16

निदेशक (प्रशासन)

संख्या–4डी(1)/2016/ तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–4
2. अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–88 को शासन के अर्द्धशासकी पत्र पृष्ठांकन संख्या–528(1)/88–16 दिनांक 17.03.2016 के संदर्भ में।
3. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र लखनऊ

अपर निदेशक
(मुख्यालय परिधिगत)